

"प्ररूप जीएसटी आईटीसी-02क

[नियम 41क देखें]

धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के अनुसरण में आईटीसी के अंतरण की घोषणा

1.	अंतरक का जीएसटीआईएन	
2.	अंतरक का विधिक नाम	
3.	अंतरक का व्यापार नाम, यदि कोई हो	
4.	अंतरिती का जीएसटीआईएन	
5.	अंतरिती का विधिक नाम	
6.	अंतरिती का व्यापार नाम, यदि कोई हो	

7. अंतरित की जाने वाली आईटीसी के ब्यौरे

कर	उपलब्ध सुमेलित आईटीसी की रकम	अंतरित की जाने वाली सुमेलित आईटीसी की रकम
1	2	3
केन्द्रीय कर		
राज्य कर		
संघ राज्यक्षेत्र कर		

एकीकृत कर		
उपकर		

**सत्यापन :**

मैं ..... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम/प्रास्थिति.....

तारीख.....दिन/मास/वर्ष

**अनुदेश:**

1. अंतरक से वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निर्दिष्ट जिसका किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में मौजूदा रजिस्ट्रीकरण है।
2. अंतरिती से वह कारबार का स्थान निर्दिष्ट है जिसके लिए नियम 11 के अधीन पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया है।"।